

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-2

संख्या 3887/III(2)18-41(रि0या0)/2013

देहरादून : दिनांक 31 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :- लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विवादों की मध्यस्थता हेतु नियुक्त मध्यस्थता को मानदेय दर की अनुमन्यता का पुनर्निर्धारण

कार्यालय ज्ञाप संख्या-6073/III(2)15-41(रि0या0)/2013 दिनांक 06 अगस्त, 2015 द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विवादों की मध्यस्थता हेतु नियुक्त मध्यस्थता को हेतु अनुमन्य मानदेय की दरें, निर्धारित की गयी थी।

2- वर्तमान में मध्यस्थता की उचित मानदेय की दरें पुनः निर्धारित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए समुचित विचारोपरान्त नियुक्त सेवानिवृत्त तथा सेवारत अधिकारियों को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए मानदेय की निम्नानुसार संशोधित दरें श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमन्य करते हैं :-

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों/मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं के किसी एक विवाद में मध्यस्थता में सुनवाई के लिये प्रतिदिन की दर से मानदेय, जोकि अधिकतम सीमान्तर्गत निम्नानुसार देय होगी :-

क्र० सं०	दावे(Claim)की धनराशि	स्थानीय सुनवाई की स्थिति में मानदेय की प्रतिदिन की दर (धनराशि ₹ में)	अन्य स्थान पर सुनवाई की स्थिति में मानदेय की प्रतिदिन की दर (धनराशि ₹ में)	अधिकतम मानदेय की धनराशि
1	05 करोड़ तक	4000/-	6000/-	दावे की धनराशि का 1% अथवा ₹0 4.00 लाख, जो भी कम हो।
2	05 करोड़ से 10 करोड़ तक	7500/-	10000/-	दावे की धनराशि का 1% अथवा ₹0 8.00 लाख, जो भी कम हो।
3	10 करोड़ से अधिक	10000/-	12500/-	₹0 12.00 लाख।

आर्बीट्रेशन की सुनवाई के दिनों में रीडिंग, सेक्रेटरीयट असिस्टेंट्स/इंसीडेंटल व अवार्ड के प्रकाशन/डेलिगेशन चार्ज के रूप में वास्तविक व्यय देय होगा, जो कि निम्नानुसार अधिकतम सीमान्तर्गत होगा :-

रीडिंग चार्ज,

अधिकतम सीमा ₹ 5000

सेक्रेटरीयट असिस्टेंट्स/इंसीडेंटल चार्ज

अधिकतम सीमा ₹ 7000

प्रकाशन/डेलिगेशन चार्ज

अधिकतम सीमा ₹ 7000

कार्यालय ज्ञाप संख्या-6073/III(2)15-41(रि0या0)/2013 दिनांक 06 अगस्त, 2015 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

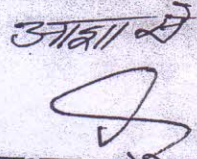
5- उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-229/XXVII/(2)/2018 दिनांक 30 जुलाई, 2018 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

संख्या 3087/III(2)18-41(रि०या०)/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के समस्त वृत्त/खण्ड के अधीक्षण अभियन्ता/अधीशासी अभियन्ता।
5. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. लोक निर्माण अनुभाग-1 व 3
7. गार्ड फाईल।

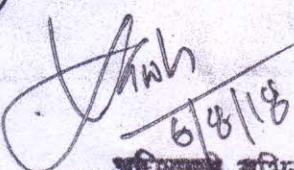

(एस०एस० टोलिया)
संयुक्त सचिव

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लो.नि.वि. उत्तराखण्ड
देहरादून

घृ.सं.-608 / 44 आर्कि. भाता.क/18 दि-06-8-18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- ① मुख्य अभियन्ता लो. नि. वि. उत्तराखण्ड।
- ② अधीक्षण अभियन्ता --- वा वृत्त लो. नि. वि. ---
- ③ अधीशासी अभियन्ता प्रा. नि. अ. खण्ड लो. नि. वि. ---
- ④ प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- ⑤ वरिष्ठ स्टाफ आफिसर I/II कार्या. प्रमुख आर्कि. एवं विभागाध्यक्ष लो. नि. वि. देहरादून
- ⑥ वरिष्ठ प्रशा. प्रशा. अधिकारी निधी. II/III विधि प्रकोट वर्गी, विभागाध्यक्ष कार्या. लो. नि. वि. देहरादून।
- ⑦ गार्ड फाईल हेतु।
- ⑧ आर्कि. अभि. आर्कि. आर्कि. कार्य. प्रमुख अभि. एवं विभागाध्यक्ष को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


6/8/18
अधीशासी अभियन्ता
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून